न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 —238/2020(2020/00383)

अनवान : —

सुरेश कुमार पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. खेताराम पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. सन्तोष पुत्री खेताराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :— श्री लीलाधर अग्रवाल **वादी**
श्री कृष्ण भारी **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 31/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बीआरडब्ल्यू सम्वत 2075–78 के वर्तमान खाता संख्या 21/22 के मुरब्बा न0 40 के किला न0 7 ता 10 इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 1.012 हैक्टेयर व चक 3 बीआरडब्ल्यू सम्वत 2076–79 के वर्तमान खाता संख्या 49 के किला नम्बर 1, 2, 3, 10 इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 1.012 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 खेताराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा रामूराम की खातेदारी हुआ करती थी। रामूराम से विरासतन वादी के पिता प्रतिवादी खेताराम ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल द्वारा खेताराम ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी खेताराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 खेताराम को वादी के दादा रामूराम से विरासतन प्राप्त हुई है। नामान्तरकरण रजिस्टर चक 1 बीआरडब्ल्यू प्रविष्टि संख्या 215 व नामान्तरकरण रजिस्टर चक 3 बीआरडब्ल्यू प्रविष्टि संख्या 201 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सुरेश कुमार पुत्र खेताराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में नामान्तरकरण रजिस्टर चक 1 बीआरडब्ल्यू प्रविष्टि संख्या 215 प्रदर्श 1, नामान्तरकरण रजिस्टर चक 3 बीआरडब्ल्यू प्रविष्टि संख्या 201 प्रदर्श 2, जमाबन्दी चक 3 बीआरडब्ल्यू सम्वत 2075–78 खाता संख्या 21/22 प्रदर्श 3, जमाबनदी चक 1 बीआरडब्ल्यू सम्वत 2076–79 खाता संख्या 21/22 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मौजा चक 1 बीआरडब्ल्यू सम्वत 2075–78 के वर्तमान खाता संख्या 21/22 के मुरब्बा न0 40 के किला न0 7 ता 10 इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 1.012 हैक्टेयर व चक 3 बीआरडब्ल्रू सम्वत 2076–79 के वर्तमान खाता संख्या 49 के किला नम्बर 1, 2, 3, 10 इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 1.012 हैक्[illegible] संख्या 1 खेताराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद [illegible] भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 बहिस्सा बराबर [illegible] खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 सं0 238/20 अनुवान सुरेश कुमार बनाम खेताराम आदि धारा 88 आरटीएक्ट

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 बीआरडब्ल्यू सम्वत 2075–78 के वर्तमान खाता संख्या 21/22 के मुरब्बा न0 40 के किला न0 7 ता 10 इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 1.012 हैक्टेयर व चक 3 बीआरडब्ल्रू सम्वत 2076–79 के वर्तमान खाता संख्या 49 के किला नम्बर 1, 2, 3, 10 इस प्रकार कुल किता 4 की कुल 1.012 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 खेताराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें वादी सुरेश कुमार व प्रतिवादी संख्या 1 खेताराम, प्रतिवादी संख्या 2 सन्तोष को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:32 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़